

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-15 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. गणेश पुत्र श्याम लाल नि० साहबगंज थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-557/21, 02. शहजाद अली पुत्र स्व० मो० हनीफ नि० महरानीगंज थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-558/21, 03. सुनील पुत्र देवीप्रसाद नि० पटेल नगर थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-559/21, 04. रोजली पुत्र स्व० अजीज नि० पटेल नगर थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-560/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामसुरेश पुत्र आज्ञाराम नि० गड़रही थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-208/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना खोडारे द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. भगवान प्रसाद उर्फ शेरू पुत्र दिलफेरन नि० बड़की केवटहिया थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-106/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. ज्ञानमती पत्नी कन्हैया लाल नि० राजापुर भरोसी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-168/21, 02. कन्हैया लाल पुत्र लालमनी नि० ग्राम राजापुर भरोसी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-169/21, 03. रामपुजारी पुत्र नारेन्दर नि० ग्राम खटिकनपुरवा मौजा सीहागांव थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-169/21, 04. अशोक कुमार पुत्र रामजीवन नि० खिरई खिरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-171/21, 05. राजकुमार पुत्र रामराज नि० ग्राम खिरई खिरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-172/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना खरगपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. विन्जय पुत्र रामविशुन उर्फ परधाने नि० ग्राम पुरेहरवाहन कस्बा खरगपुर थाना खरगपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-190/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामअतुल पुत्र सालिक राम कोरी नि० लोनियनपुरवा मौजा दरियापुर हरदोपट्टी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-231/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

07. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राजू पुत्र शिवप्रसाद नि० जैदवा थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-207/21, 02. श्रीमती गंगोत्री पत्नी स्व० राम सुरेश नि० ग्राम महुआडीह थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-208/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 23.07.2021

थाना करनैलगंज द्वारा गैरइरादतन हत्या करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० करनैलगंज पुलिस ने मु०अ०सं०-267/21, धारा 304 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त-आशिक अली को मुखबिर खास की सूचना पर चौरी चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने आपसी झगड़े में अपनी पत्नी को लाठी-डण्डा से मारा-पीटा था जिससे उसकी पत्नी की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी सरफराज खॉ पुत्र अब्दुल बहीद खॉ नि० बिराहिनपुर बिल्हौरा कैसरगंज जनपद बहराइच द्वारा थाना करनैलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. आशिक अली पुत्र ऐश मोहम्मद उर्फ गोपी नि० मो० सुक्खापुरवा कस्बा व थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-267/21, धारा 304 भादवि थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० परशुराम सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 23.07.2021

थाना को० देहात ने गैरइरादतन हत्या करने के 03 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० देहात पुलिस ने मु०अ०सं०-256/21, धारा 323,504,324,304 भादवि से सम्बन्धित 03 वांछित अभियुक्तों-01. छठीदीन, 02. ननकून्ने, 03. विनोद को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने आपसी विवाद के चलते वादी रामअचल पुत्र पृथ्वीपाल नि० भीटी भदवल थाना को० देहात जनपद गोण्डा के भाई को लाठी-डण्डों से मारा-पीटा था। जिससे वादी के भाई की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। अभियुक्तगणों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. छठीदीन पुत्र भगवानदीन नि० भीटी भदवल थाना को० देहात जनपद गोण्डा।
02. ननकून्ने पुत्र भगवानदीन नि० भीटी भदवल थाना को० देहात जनपद गोण्डा।
03. विनोद पुत्र भगवानदीन नि० भीटी भदवल थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-256/21, धारा 323,504,324,304 भादवि थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० कामेश्वर राय मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 23.07.2021

500 ग्राम अवैध चरस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक के उ०नि० शादाब आलाम मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त नजबुद्दीन उर्फ राजा को धर्मेई रोड से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 500 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. नजबुद्दीन उर्फ राजा पुत्र फखरुद्दीन नि० बैजपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-232/21, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 500 ग्राम अवैध चरस।

गिरफ्तार कर्ता—

01. उ०नि० शादाब आलम मय टीम।